



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124845

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18092 वर्ष 2026

राजू कसेरा उर्फ विकास

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: सुनील चौधरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील चौधरी और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना चौक, जिला वाराणसी से संबंधित वाद अपराध संख्या- 195 वर्ष 2009, अंतर्गत धारा 302 आईपीसी में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 03.05.2022 से जेल में निरुद्ध है और अब तक केवल पांच गवाहों का परीक्षण किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनादाता के भाई की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटना दर्शाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, और प्रथम सूचनादाता ने अपने बाद के बयान में कहा है कि आवेदक ने उसकी उपस्थिति में एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी, जिसमें उसने अपने भाई (मृतक) की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का अपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदन के ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है और आवेदक दिनांक 03.05.2022 से जेल में बंद है तथा निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की संभावना नहीं है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक लंबी अवधि तक फरार रहा और उसने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनादाता के भाई की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटना दर्शाया गया है और कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, तथा प्रथम सूचनादाता ने अपने बाद के बयान में कहा है कि आवेदक ने उसकी उपस्थिति में एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी, जिसमें उसने अपने भाई (मृतक) की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। आगे यह कहा गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदन के ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है और आवेदक दिनांक 03.05.2022 से जेल में निरुद्ध है तथा निकट भविष्य में विचारण के संपन्न होने की संभावना नहीं है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ व विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में पारित निर्णय के अधिदेश और इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- राजू कसेरा उर्फ विकास को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कारागार अधीक्षक, वाराणसी के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

3 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"